

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.2(458)स्था./पमु./2019/

दिनांक : 5/3/19

--: कार्यालय आदेश :-

विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक : एफ.2(458)स्था./पमु./2019/1701-2262 दिनांक 14.02.2019 के द्वारा माह मार्च में दिनांक 21.03.2019 को धुलण्डी अवकाश को छोड़कर शेष समस्त अवकाशों में समस्त उप महानिरीक्षक एवं पूर्णकालीन व पदेन उप पंजीयक कार्यालयों को खोले जाने हेतु आदेश दिये गये हैं।

प्रायः देखने में आया है कि आदेशों के बाद भी अवकाश दिवसों में कार्यालय नहीं खोले जाते हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय नहीं खुले रहने की शिकायत प्राप्त होने पर, सम्बन्धित उप महानिरीक्षक एवं उप पंजीयक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Sch

(रिणु जयपाल)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

क्रमांक : एफ.2(458)/स्था./पमु./2019/2812-3383

दिनांक : 5/3/19

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक जयपुर, राजस्थान।
2. अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
4. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय अजमेर को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाना सुनिश्चित करावे।
5. संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
6. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक।
7. समस्त पूर्णकालीन एवं पदेन उप पंजीयक राजस्थान।
8. निजी सचिव, महानिरीक्षक/शीघ्रलिपिक, अतिरिक्त महानिरीक्षक मुख्यालय अजमेर।
9. समस्त शाखा प्रभारी मुख्यालय अजमेर।

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर